अपील क्रमांक 202/बो.प्र./नि.स./2024/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /07/2024

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 202/बो.प्र./नि.सहा./2024</u>

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री भूपेन्द्र कुमार सोनकर, महामाया होटल के पास मुंडरा रोड, ग्राम दतरेंगा, पो. सेजबहार, थाना मुजगहन, जिला रायपुर (छ.ग.) मो.नं. 8770178745	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

<u>आदेश दिनांक 29.07.2024</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार सोनकर के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2024 को प्रस्तुत आवेदन, इस कार्यालय में दिनांक 25.07.2024 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 29.07.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे ।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि विभाग में सेटअप के अनुसार स्वीकृत समस्त पदों का वर्तमान स्थिति में 1. कुल पद, 2. भरे पद, 3. रिक्त पद, 4. पदवार शैक्षणिक योग्यता, 5. अनुरेखक (सिविल), अनुरेखक (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची, 6. सहायक मानचित्रकर (सिविल), सहायक मानचित्रकार (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 12.05.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 13.06.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 25.07.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। अपील प्रकरण के परीक्षण उपरांत प्रकरण की सुनवाई दि. 29.07.2024 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित की गयी। इसमें उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट, ईमेल तथा व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से सूचित किया गया

3. सुनवाई दिनांक 29.07.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 4, 5, 6 की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण, उनके आवेदन में वांछित शेष जानकारी प्रदान किये जाने हेतु अपील आवदेन प्रस्तुत किया गया है।

......2

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220240512000878 दिनांक 12.05.2024 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 14.05.2024 को प्रस्तुत किया गया। उक्त नस्ती स्थापना कक्ष से इस कक्ष को दिनांक 27.05.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी कुल 02 पृष्ठ में समाहित है। जिसका जानकारी शुल्क (02×2 = 4/-) जमा करने हेतु अपीलार्थी/आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/94/छ.ग./2024/4214, दिनांक 31.05.2024 द्वारा सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त सूचना शुल्क (ऑनलाईन) रू. 4.00 दिनांक 05.06.2024 को जमा किया गया। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ-2-10/2008/1/सू.अ.प्र., दि. 15.06.2009 द्वारा एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने के स्थिति में प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने का उल्लेख है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को प्रथम बिन्दु की जानकारी कुल 02 पृष्ठों में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/94/छ.ग./2024/4660, दिनांक 12.06.2024 द्वारा वांछित जानकारी सत्यापित कर प्रदाय किया गया एवं शेष बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित शेष 3 बिन्दुओं बिन्दु क्रमांक 4. पदवार शैक्षणिक योग्यता, 5. अनुरेखक (सिविल), अनुरेखक(वि./यां.) का पदक्रम सूची, 6. सहायक मानचित्रकर (सिविल), सहायक मानचित्रकार (वि./यां.) का पदक्रम सूची की प्रति एक ही आवदेन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है?

6. अपीलार्थी ने आवेदन में विभाग में सेटअप के अनुसार स्वीकृत समस्त पदों का वर्तमान स्थिति में 1. कुल पद, 2. भरे पद, 3. रिक्त पद, 4. पदवार शैक्षणिक योग्यता, 5. अनुरेखक (सिविल) 6. अनुरेखक (वि./यां.) का पदक्रम सूची, 6. सहायक मानचित्रकर (सिविल), सहायक मानचित्रकार (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची की प्रति चाही गयी है। उल्लेखनीय है कि बिन्दु क्रमांक 1 से 3 एक ही विषय वस्तु से संबंधित कार्यालयीन रिकार्ड में संधारित दस्तावेज है। शेष प्रत्येक बिन्दु अपने आप में एक पृथक विषय-वस्तु है। एक से अधिक विषय-वस्तु की जानकारी एक ही आवेदन में मांगे जाने के संबंध में छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-2-10/2008/1-सू.अ.प्र. दिनांक 15 जून 2009 द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009 का नियम-3 निम्नानुसार है :-

> **"3 अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो -सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय वस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिए अलग-अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।"**

उपरोक्त नियम के तहत अपीलार्थी को केवल एक विषय वस्तु की जानकारी अर्थात उनके आवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्र. 1 की जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है। चूंकि लोक प्राधिकारी के कार्यालय में संधारित दस्तावेज अनुसार उनके आवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्र. 1 से 3 की एकजाई जानकारी उपलब्ध होने के कारण जन सूचना अधिकारी द्वारा तीनो बिन्दुओं की 2 पृष्ठों में उपलब्ध दस्तावेज निर्धारित दस्तावेज शुल्क जमा कराकर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समय-सीमा 30 दिनों में उपलब्ध कराते हुये, शेष 3 बिन्दुओं हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दिया जाना, अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप विधिसम्मत है।

......3

7. प्रकरण का न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्र. 4 पदवार शैक्षणिक अर्हता की जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध भर्ती नियमों में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन http://www.cgwrd.in/gazette-policy-circulars/20-recruitment-rules का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्र. 5. अनुरेखक (सिविल), अनुरेखक (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची, 6. सहायक मानचित्रकर (सिविल), सहायक मानचित्रकार (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची की जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध पदक्रम सूची में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन http://www.cgwrd.in/organisation/gradation-list का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं।

8. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

1. **उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित 6 बिन्दुओं की जानकारी में से इस कार्यालय लोक प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में उपलब्ध एक विषय वस्तु से संबंधित प्रथम 3 बिन्दुओं की 2 पृष्ठों में उपलब्ध दस्तावेज, निर्धारित दस्तावेज शुल्क जमा कराकर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समय–सीमा 30 दिनों में उपलब्ध कराते हुये, शेष 3 बिन्दुओं हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दिया जाना, अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत है।**
2. **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in पर अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्र. 4 पदवार शैक्षणिक अर्हता की जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध भर्ती नियमों में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन http://www.cgwrd.in/gazette-policy-circulars/20-recruitment-rules का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्र. 5. अनुरेखक (सिविल), अनुरेखक (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची, 6. सहायक मानचित्रकर (सिविल), सहायक मानचित्रकार (विद्युत/यांत्रिकी) का पदक्रम सूची की जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध पदक्रम सूची में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन http://www.cgwrd.in/organisation/ gradation-list का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त दस्तावेज की भौतिक रूप से सत्यापित प्रति वांछित होने पर आवेदक पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।**

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

......4

पृ.क्रं./202/बो.प्र./नि.स./2024/ 6361 नवा रायपुर, दिनांक 29/7/2024

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री भूपेन्द्र कुमार सोनकर, महामाया होटल के पास मुंडरा रोड, ग्राम दतरेंगा, पो. सेजबहार, थाना मुजगहन, जिला रायपुर, पिन 492015, मो.नं. 8770178745, email id - bhuppy1105@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/24

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

MIS 29/7